फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती सोहनी — **विपक्षी : श्री मोतीलाल**

किस्म मुकदमा – 188 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 70/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 05.01.2022

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प आमली में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वादीगण खातेदार काश्तकार होने से वादीगण को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर वादीगण के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है, इससे भी वादीगण के वाद को बल मिलता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 480 किता 1 रकबा 0.1700 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:14:59 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती सोहनी पुत्री मोहन भारती पत्नी रामपुरी गोस्वामी निवासी आगूचा तह. हुरडा।
2. श्री रतन भारती पिता मोहन भारती गौस्वामी निवासी गोटीपा राणा कुई तह. वल्लभनगर।
3. श्रीमती पुष्पा पुत्री मोहन भारती पत्नी उंकारपुरी गोस्वामी निवासी मोरडी बाठेडा तह. वल्लभनगर।
4. श्रीमती अन्नु पुत्री मोहन भारती पत्नी रमेश भारती निवासी हिरण मगरी सेक्टर 4 उदयपुर।
5. श्रीमती आशा पुत्री लाल भारती पत्नी नानुगिरी गोस्वामी निवासी भीण्डर तह. वल्लभनगर।
6. श्री राजू पिता लाल भारती गोस्वामी निवासी गोटीपा राणा कुई तह. वल्लभनगर।

...................वादीगण

बनाम

1. श्री मोतीलाल पिता दीपा डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
2. श्री पप्पु भारती पिता किशन भारती गोस्वामी निवासी विकरणी तह. मावली।
3. सुगन भारती पिता किशन भारती गोस्वामी निवासी विकरणी तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 70/21 (वाद) GCMS No. – 2021/133

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 480 किता 1 रकबा 0.1700 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.01.2022 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:14:59 IST
Reason: SelfAttested